



3069



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर
मण्डल : लखनऊ , जनपद : लखनऊ , तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460503510
वाद संख्या:- 3510/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम मनीराम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 09/03/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2025 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। लेखपाल के बयान से स्पष्ट है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00436 गाटा संख्या 3069 मि. रकबा 0.0890 हे०, सम्पूर्ण अंश व गाटा संख्या 2515 रकबा 0.1010 हे०, सम्पूर्ण अंश व गाटा संख्या 3040 मि. रकबा 0.0380 हे०, सम्पूर्ण अंश कुल विक्रीत रकबा 0.2280 हे० अपना सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता मंत्री उर्फ मनीराम पुत्र साहब दीन निवासी-बदबदा खेड़ा, दोना, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत-वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र० का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2025 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"